

4-6-22  
वादी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र जाट, राजेन्द्र जाखड ने यह दावा न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 28.07.2022 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
दांतारामगढ़ जिला सीकर

14/7/22  
पत्रावली वादीगण के खिलाफ तलब  
तलबी आवेदन पर तलब होकर फेर डई।  
वादीगण के प्रत्येक पर प्रत्येक कर विवेक  
किया कि प्रत्येक के मध्य राजीनामा हो  
चुका है इसलिए जाने से बिना किया  
जाये। वादीगण श्री प्रत्येक वकील गदी श्री  
राजेन्द्र जाखड ने श्री दावा बिना करने  
के आवेदन दिए जाते हैं, पत्रावली फेर  
शुमा होकर नम्बर हो रहे हैं।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
दांतारामगढ़ (सीकर)

श्री श्री  
पट्टनायक  
दांतारामगढ़